फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

बाबू बनाम रजाक

प्रकरण संख्या :- 23/2024

T.Z.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	दिनांक
	20/06/2025	पत्रावली पेशगी/अग्रिम पर अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी 01, 12, 18, 18/4 का जवाब T.Z. पत्र। अप्रार्थी 03, 12, 19 का प्रा०पत्र बायम सुभाष पत्र। पत्रावली का अवलोकन किया। पर्याप्त अवसर के बावजूद होष अप्रार्थीगण श्री चिन्हित शार तामिल नहीं करवायी गयी अतः वादी श्रवाद अन्तर्गत आर्डर 09 R 5 CPC से अन्तर्गत खारिज करते प्रा०पत्र T.Z. को चलाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रा०पत्र T.Z. को खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर उर्ब-नवीस से रम हो। उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर	